न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रकाश चन्द पवन
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
35/अपील/2015	21.04.2015	24.03.2017

इकबाल आ0 भंवर जाति लुहार मुसलमान निवासी नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी (राजस्थान)

–अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी (राजस्थान)

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30.09.2016
तहसीलदार नैनवां अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधि0
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से – श्री विशाल सनाढ्य, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील तहसीलदार नैनवां द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2014 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 4456 रकबा 30 बीघा किस्म गैर मू0 बर्डा ग्राम नैनवां तहसील नैनवां में से 30X60 वर्ग फीट भूमि पर अतिक्रमण कर मकान चदरपोस व बाउण्ड्री वॉल का अतिक्रमी मानते हुये बेदखली एवं पैनाल्टी (अर्थदण्ड) 50/– रूपये के आदेश से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि खसरा संख्या–4456 रकबा 30X60 वर्ग फीट भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुये बेदखल एवं पैनाल्टी का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने पारित किया है जो वस्तुस्थिति व विधान के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य है क्योकि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। उक्त विवादित मकान का नियमन नगरपालिका द्वारा राशि जमा करके किया गया है। अपीलान्ट को पट्टा जारी किया गया है। अपीलान्ट उक्त मकान

का वैध स्वामी है व कब्जाधारी है। अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर–4456 रकबा 30 बीघा किस्म गै.मु बर्डा राजकार्य हेतु आरक्षित भूमि है। राजकीय भवनों के लिये आरक्षित भूमि पर नगरपालिका को पट्टा जारी करने एवं लीजडीड निष्पादित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। नगरपालिका केवल उस भूमि का पट्टा जारी कर सकती है जो नगरपालिका की भूमि हो। उक्त विवादित भूमि नगरपालिका की नहीं है। उक्त विवादित भूमि भविष्य में बनने वाले राजकीय भवनों एवं कार्यालयों के लिये आरक्षित भूमि है। अपीलान्ट को नगरपालिका द्वारा किये नियमन एवं लीजडीड में भूमि के खसरा नम्बर 4456 कहीं पर भी अंकित नहीं है। इस प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता कि अपीलान्ट को जारी पट्टा व लीजडीड किस स्थान व किस भूमि का जारी किया गया है। अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि से बेदखल एवं पैनाल्टी के आदेश पारित किये गये है जो उचित एवं विधि के अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड रिपोर्ट पटवारी के अनुसार अपीलान्ट ने ग्राम नैनवां प्रथम की भूमि खसरा संख्या–4456 रकबा 30 बीघा किस्म गै.मु बर्डा में से 30X60 वर्ग फीट भूमि पर अतिक्रमण कर मकान चददर पोश व पक्की बाउण्ड्री वॉल करके अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमित भूमि राजकीय कार्यालयों के लिये आरक्षित भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने दिनांक 30.09.2016 को दस्तावेज पेश किये है जिसके अनुसार उक्त विवादित भूखण्ड नगरपालिका नैनवां द्वारा नियमन किया गया है। जिसकी राशि नगरपालिका में जमा कराई गई है। नगरपालिका ने अपीलांट के पक्ष में 1000/– रूपये के स्टाम्प पर लीजडीड दिनांक 27.12.2013 को करवाई गई है। नगरपालिका द्वारा अपीलांट के नाम जारी नियमन पट्टा व लीजडीड में खसरा नम्बर अंकित नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट को जारी पट्टा व लीजडीड किस भूमि (स्थान) का है। लीजडीड की भूमि व अतिक्रमण की भूमि समान होने का भी कोई प्रमाण (राजस्व रेकार्ड) अपीलांट ने पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अनुसार उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर–4456 रकबा 30 बीघा किस्म गै.मू. बर्डा राजकार्य हेतु आरक्षित भूमि (राजकीय कार्यालय भवनों हेतु आरक्षित) दर्ज है तथा उक्त भूमि राजकीय कार्यालय भवनों के लिये आरक्षित होने से नगरपालिका को पट्टा जारी करने व लीजडीड निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं है। नगरपालिका केवल नगरपालिका के नाम आबादी भूमि दर्ज के ही नियमन पट्टा जारी कर सकती है। यदि नगरपालिका ने भूमि

खसरा नम्बर–4456 रकबा 30 बीघा में पट्टा जारी कर लीजडीड करवाई गई है तो वह प्रभावहीन है तथा गैर कानूनी है। अपीलांट ने पटवारी रिपोर्ट के अनुसार कस्बा नैनवां की आराजी खसरा नम्बर–4456 रकबा 30 बीघा के किसी भी भू–भाग पर मकान आदि निर्माण करके अतिक्रमण किया गया है तो वह अतिक्रमण के अन्तर्गत आता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलान्ट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कस्बा नैनवां की भूमि खसरा नम्बर–4456 रकबा 30 बीघा में से 30X60 वर्ग फीट गै.मु. बर्डा भूमि पर से बेदखल एवं पेनाल्टी का आदेश पारित किया गया है वह उचित एवं न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार (खारिज) की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नैनवां द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2014 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चंद पवन)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बून्दी (राज0)